

तिमाही प्रगति रिपोर्ट कैसे भरें

## 1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात :-

### राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा (3)3 के अंतर्गत निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए किये जाएँगे

1	सामान्य आदेश	General Orders
2	संकल्प	Resolution
3	परिपत्र	Circulars
4	नियम	Rules
5	प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन	Administrative or other reports
6	प्रेस विज्ञप्तियां	Press Release/Communiques
7	संविदाएं	Contracts
8	करार	Agreements
9	अनुज्ञप्तियां	Licences
10	निविदा प्रारूप	Tender Forms
11	अनुज्ञा पत्र	Permits
12	निविदा सूचनाएं	Tender Notices
13	अधिसूचनाएं	Notifications
14	संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज़ पत्र	Reports and documents to be laid before the Parliament

2. राजभाषा नियम – 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्र पत्रों का जवाब हिंदी में ही देना अनिवार्य है ।
3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने (केवल 'क' व 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए) की प्रतिशता 'ख' क्षेत्र के लिए 90% से ज्यादा होना अनिवार्य है ।

## 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र में आने वाले राज्य निम्न है

'क'	क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;
'ख'	क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;
'ग'	क्षेत्र ग' से खंड ( 1) और ( 2) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

## 4. भेजे गये कुल पत्रों का ब्योरा

	हिंदी/द्विभाषी में	केवल अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या	
	1	2	3	
'क' क्षेत्र को				90% या उससे ज्यादा होना आवश्यक है ।
'ख' क्षेत्र को				
'ग' क्षेत्र को				55% या उससे ज्यादा होना आवश्यक है ।

5. फाइलों / दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियां की प्रतिशता पॉइंट न. 4 की प्रतिशता के लगभग बराबर होनी चाहिए ।
6. हिंदी कार्यशालाएं में तिमाही में होने वाली कार्यशालाओ की संख्या आएगी । कार्यालय के समस्त कार्मको को 2 वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है ।
7. हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन की तिथि लागू नहीं  
( केवल मंत्रालयों विभागों के लिए )